न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 06/2020 G.C.M.S. No. 2020/00017 दर्ज दिनांक : 21.01.020

अपीलार्थिगण:

स्व. रता पुत्र तोलाजी जाति ब्राहम्ण, निवासी वाडा, तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम:–

1. चूना पुत्र रता
2. लच्छाराम पुत्र रता
3. शंकरलाल पुत्र रता
4. मृतक हंजारी पुत्र रता, जाति ब्राहम्ण, निवासी वाडा तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर के कायम मुकाम:–

   4/1. पारूदेवी पत्नी हंजारी राम

   4/2. राणाराम पुत्र हंजारीराम जाति पुरोहित, निवासी वाड़ा तहसील रानीवाडा

   4/3 नपा पुत्री हंजारीराम पत्नी समेला जी जाति ब्राहम्ण, निवासी डुंगरी तहसील रानीवाड़ा

   4/4 अंतरी पुत्री हंजारीराम पत्नी मसराजी जाति ब्राहम्ण, निवासी डुंगरी तहसील रानीवाड़ा

   4/5. गीता पुत्री हंजारीराम पत्नी शंकरलाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी रोपसी, तहसील रानीवाड़ा
5. जमना पुत्र रता जी पत्नी नारणाजी जाति ब्राहम्ण निवासी सोपसी तहसील रानीवाड़ा
6. छगनी पुत्री रताजी पत्नी प्रताप जी जाति पुरोहित निवासी वाड़ा तहसील रानीवाड़ा
7. मोहरा पुत्री रताजी पत्नी जोईता जी जाति पुरोहित निवासी डूंगरी तहसील रानीवाड़ा

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मथरी देवी पत्नी भीमाराम जाति पुरोहित निवासी वाडा तहसील रानीवाडा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 बअनवान रता बनाम मथरी देवी में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019

पैरोकार:–

1. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री जगदीश गोदारा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक :29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 बअनवान रता बनाम मथरी देवी में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई, प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा वाडा तहसील रानीवाडा मे स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 181 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 142 रकबा 0.21 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 143 रकबा 0.27 हैक्टर कुल रकबा 0.78 हैक्टर की भूमि आई हुई है उक्त आराजी मे आवागमन हेतू कोई रास्ता उपलब्ध नही है तथा अपीलान्ट एवं उनके सहखातेदारान को उक्त आराजी मे काश्त करने हेतू रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उपर वर्णित आराजी के पूर्व दिशा की तरफ रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 138 आई हुई एवं रेस्पोडेन्ट की उक्त आराजी के पूर्व दिशा की तरफ खसरा नम्बर 131 गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है पूर्व मे अपीलान्ट खसरा नम्बर 131 मे से होते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खसरा नम्बर 138 रकबा 0.33 हैक्टर के दक्षिणी माठ के सारे उक्त आराजी मे से होकर अपने खसरा नम्बर 181 मे प्रवेश करते थे परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त रास्ते पर अवरोध कारित कर आवागमन बन्द कर दिया है एवं उक्त आवागमन वाले रास्ते को रैकर्डेड घोषित किये जाने हेतू प्रार्थना पत्र के साथ नक्शा परिशिष्ट–अ प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुये यह आपति जाहीर की कि अपीलान्ट द्वारा तमाम खातेदारान को पक्षकारान के रूप मे संयोजित नही किया गया है जिससे उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील के जरिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकारो के सयोजन के अभाव मे स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया गया।

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा अपने प्रार्थना पत्र के फिकरा संख्या 01 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि खसरा नम्बर 181, 142 एवं 143 के कौन कौन से खातेदार है उक्त प्रार्थना पत्र मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह देखना आवश्यक था कि जिस खसरा नम्बर मे से रास्ता कायम करने की मांग की गई है उस खसरा नम्बर के तमाम खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो अपीलान्ट द्वारा बनाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नही आया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट के सहखातेदारान द्वारा पक्षकार न बनाये जाने की आपति की गई हो जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर मौका फर्द भी दिनांक 20.08.2019 को तैयार की गई है जिसमें भी यह स्पष्ट तौर पर दर्शाया गया है कि रेस्पोडेन्ट स्वयं एवं इनके पति मौके पर उपस्थित आये तथा उनके समक्ष मौका निरीक्षण किया गया मौका फर्द में भी उक्त भूमि में आवागमन हेतू कम लम्बाई का रास्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नक्शा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिशिष्ट–अ में दर्शित लाल रंग से मार्क ए से बी बताये गये रास्ते के अनुरूप ही बताया गया है तथा मौका फर्द तैयार करने के पश्चात् स्वय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार किया गया था। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा दिनांक 22.08.2019 को अपना जबाब अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था उक्त जबाब के पद संख्या 1 में यह स्पष्ट किया गया है कि खसरा नम्बर 142, 143 एवं 181 में जाने हेतू मार्ग उपलब्ध नही है एवं इन्हे मार्ग की अत्यधिक आवश्यकता है एवं पद संख्या 2 मे यह भी उल्लेखित किया गया है कि खसरा नम्बर 131 रैकर्डेड रास्ता है एवं जिसके आगे खसरा नम्बर 130 पक्की डामर सडक है तथा प्रस्तावित रास्ते के मध्य केवल रेस्पोडेन्ट की खातेदारी का खसरा नम्बर 138 आता है एवं यह भी स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित मार्ग मे अन्य कोई संरचना यानी वृक्ष, पहाड, नाडी अथवा मकान आदि नही है तथा अपने जबाब मे प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 36 मीटर एवं चौडाई 4 मीटर कुल 144 वर्गमीटर बनना बताते हुये वर्तमान डी०एल०सी की दर से प्रतिकर की राशि 12783/–रू होना बताया गया है यानी की यह स्पष्ट तौर पर साफ है कि अपीलान्ट द्वारा जो रास्ता मांगा गया था उसके अलावा अन्य कोई रास्ता अपीलान्ट के पास मौजूद नही था एवं कम दूरी का उक्त रास्ता ही बनता है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने जबाब / आपत्ति मे यह उल्लेख किया है कि अपीलान्ट के पास पूर्व से आवागमन हेतू रास्ता मौजूद है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा यह रैकर्ड पर कही पर भी साबित नही किया है एवं न ही रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा तैयार मौका फर्द एवं उनके जबाब यह स्पष्ट नही होता है कि अपीलान्ट के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नही किया है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपील में वर्णित रास्ते को अपीलान्ट के आवागमन हेतू कायम किये जाने का आदेश प्रदान करावे विकल्प में निवेदन है कि यदि माननीय न्यायालय उक्त आदेश को पारित करना उचित न समझे तो प्रकरण पुनः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कानूनी बिन्दूओ पर सुने जाने हेतू रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपनी खातेदारी आराजी ग्राम वाड़ा के खसरा संख्या 181, 142, 143 तक पहुच के लिए पहुच मार्ग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2019 द्वारा अस्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अन्दर म्याद प्रस्तुत की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2. अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवश्यक पक्षकारो के संयोजन के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत, काश्तकारों के कृषि–भूमि तक पहुच वर्ग के बुनियादी अधिकारों का प्रश्न शामिल हो, वहाँ न्यायालयों को केवल तकनीकी आधारों पर प्रकरण को निरस्त करने से बचना चाहिए। यदि अधीनस्थ न्यायालय का यह मत था कि अपीलान्ट के सह–खातेदारान का पक्षकार के रूप में रिकॉर्ड पर होना अनिवार्य था, तो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत प्रदत्त अपनी अंतर्निहित विधिक शक्तियों का प्रयोग कर अपीलान्ट को अपने सह–खातेदारान को पक्षकार (चाहे प्रार्थी के रूप में या अप्रार्थी के रूप में) संयोजित करने के लिए निर्देशित करना चाहिए था और तत्पश्चात प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना था।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की जांच रिपोर्ट और मौका फर्द के अनुसार रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और वैकल्पिक मार्ग के अभाव को साबित कर रही थीं, ऐसी स्थिति में मात्र पक्षकारों के असंयोजन जैसे महज तकनीकी आधार पर निर्णय पारित कर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के निरस्त किये जाने योग्य है।
4. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः निर्णयन निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं। उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2018 बअनवान रता बनाम मथरी देवी में पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रार्थी को प्रकरण में आवश्यक व हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित करने का एवं अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा जिसमें प्रार्थी की आराजी तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प दर्शित किए गए हो, प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं अप्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क एवं राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 (अधित्यन संशोधित प्रावधानो सहित) का भलीभाति अवलोकन व अनुपालन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित करे। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 20.07.2026 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रानीवाड़ा में असालतन/वकालतन उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली